

कार्यालय, नगर परिषद जमालपुर

पत्रांक:-.....

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद जमालपुर

सेवा में,

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
समाजिक प्रक्षेत्र-1 बिहार पटना

जमालपुर/दिनांक:-.....

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०-341/2016-17 के अनुपालन के संबंध में।

आपका पत्रांक- एल० ए०/एस०एस०-1/ श० स्था० नि०/14629/388
दिनांक:-20/01/2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संबंध कहना है कि नगर परिषद जमालपुर में वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 का किये गये अंकेक्षण के लंबित कंडिका का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार किया गया है जिसे इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाती है।

अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०-

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, जमालपुर

ज्ञापांक- 30

दिनांक- 04/01/19

प्रतिलिपि-

विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/01/19

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, जमालपुर


04.01.19

नगर परिषद जमालपुर
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं० - 341/2016-17 का कंडिकावार निराकरण प्रतिवेदन

क्रम सं०	कंडिका सं०	आपत्ति का सार	कार्रवाई का ब्यौरा
भाग - I			
1.	1.	प्रस्तावना।	कोई टिप्पणी नहीं
2.	2.	लेखा परीक्षा कार्यक्षेत्र	उपस्थापित नहीं किये गये एवं असंघारित अभिलेखों को संघारित कर अगले लेखा परीक्षा में उपस्थापित कर दिया जायेगा।
3.	3.	प्रशासन।	कोई टिप्पणी नहीं
4.	4.	पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के लंबित कंडिकाओं का अनुपालन।	पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा के लंबित कंडिकाओं का अनुपालन किया जा रहा है।
5	5.(क)	वित्तीय अधिदृश्य (पी० एल० खाता)	रोकड़बही एवं ट्रेजरी पासबुक के अंत शेष के अंतर राशि का समाशोधन विवरणी तैयार की जा रही है।
6.	6.	लेखा परीक्षा का परिणाम	कोई टिप्पणी नहीं।
भाग - II खंड - (ख)			
क्रम सं०	कंडिका सं०	आपत्ति का सार	कार्रवाई का ब्यौरा
7	01	अंकेक्षण के दौरान जमा राशि 11.84 लाख	जमा की गई राशि संबंधी इंड्राज इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है। (Annexure - I)
8	02	M- रसीद एवं H- रसीद से प्राप्त वसूली जमा नहीं राशि 1.58 लाख	M- रसीद एवं H- रसीद से प्राप्त वसूली रू० 1.58 लाख जमा कर दी गई है। जमा पर्ची एवं ट्रेजरी स्टेटमेंट की छाया प्रति संलग्न है। (Annexure - II)
9	03	L.E.D Light and High Mast Light के क्रय में अनियमित भुगतान (राशि रू० 413.47 लाख)	नगर परिषद जमालपुर अन्तर्गत रौशनी व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव के आलोक में विभिन्न सामाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन कर निविदा के माध्यम से तीन फर्मों से विधिवत कोटेशन प्राप्त हुआ तथा तकनीकी एवं वित्तीय बीड के पश्चात् L.E.D Light का क्रय एवं अधिष्ठापन कार्य कराया गया जिसकी गारंटी/वारंटी की अवधि एकरारनामा में अंकित है। किसी भी प्रकार की खराबी आने पर दो वर्षों तक फर्म द्वारा रख-रखाव करने का प्रावधान किया गया है। समान गुणवत्ता वाले सामग्री का फर्मों से प्राप्त कोटेशन के आधार पर तुलनात्मक न्यूनतम दर के आधार पर मेसर्स हर्ष इंटर प्राइजेज की निविदा स्वीकृति की गई है। सभी अधिष्ठापन कार्य के मापी पुस्तिका पर कनीय, सहायक एवं कार्यपालक अभियंता का हस्ताक्षर अंकित है। स्टॉक पंजी का संधारण कर लिया गया है। (Annexure - III)
10	04	उपकरणों/मशीनों के क्रय पर अलाभकारी व्यय रू० 79.93 लाख	नगर परिषद जमालपुर क्षेत्र अन्तर्गत सफाई व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु सफाई उपकरणों/मशीनों का क्रय किया गया है तथा सभी उपकरणों का उपयोग कूड़ा उठाव एवं अन्य सफाई कार्य में किया जा रहा है। साथ ही NGO के माध्यम से घर-घर कूड़ा उठाव किया जा रहा है। सभी उपकरणों/मशीनों का उपयोग किया जा रहा है।
11	05	मोबाईल टावर के अधिष्ठापन की शुल्क की वसूली नहीं राशि 28.79 लाख	बिहार संचार मिनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 के आलोक में ट्रांसमिशन टावर कंपनियों से वसूली हेतु नोटिस की कार्रवाई की गई है। संचार कंपनियों द्वारा पंजीकरण व नवीकरण शुल्क की राशि जमा की जा रही है। (देखें Annexure-IV)
12	06	विधुत विपत्र में विलम्ब अधिभार बकाया का भुगतान राशि रू० 1.06 लाख	भुगतान की गई डी० पी० एस० की राशि का समायोजन अगले विपत्र से कर लिया जाएगा।

25/11/19
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, जमालपुर
04.01.19

क्रम सं०	कडिका सं०	आपत्ति का सार	कार्रवाई का ब्यौरा
13	07	लैपटॉप क्रय में अनियमित व्यय राशि रु० 9.24 लाख	नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा ई-गवर्नेंस योजना के तहत महिला/पुरुष वार्ड पार्षदों को लैपटॉप उपलब्ध कराने हेतु आवंटित राशि से विधिवत निविदा का प्रकाशन कर नेगोसिएशन के उपरांत दो फर्मों (1) M/S satyendra Kumar एवं (2) Prachi Infotech से क्रमशः 20 एवं 14 लैपटॉप की आपूर्ति की गई एवं वार्ड पार्षदों को वितरित किया गया। वितरण के चार वर्ष पश्चात भी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। लैपटॉप की आपूर्ति Technical Specification के अनुरूप ही की गई है।
14	08	जलापूर्ति योजना को ब्याज की राशि का भुगतान रु० 1.27 लाख	नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि मो० 29.05 रु० मात्र से जमालपुर शहरी पाईप लाईन जलापूर्ति योजना का कार्य चल रहा है। इस योजना का कार्यान्वयन एजेंसी लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुंगेर है। योजना की समीक्षा विभागीय सचिव एवं जिला पदाधिकारी के स्तर से की जा रही है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए सरकार द्वारा जमीन क्रय हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण जनहित को देखते हुए नगर परिषद बोर्ड के पारित प्रस्ताव के आलोक में नगर पालिका निधि से 4.21 लाख रु० का भुगतान ब्याज सहित किया गया। योजना का भौतिक एवं वित्तीय प्रतिवेदन संलग्न है। (देखें Annexure-V)
15	09	सफाई कार्य में अनियमित भुगतान राशि मो० 48.10 लाख	नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत सभी वार्डों में छोटे एवं बड़े नालों की सफाई हेतु निविदा के माध्यम से एन० जी० ओ० द्वारा सफाई कार्य कराया गया है जिसके विपत्र का भुगतान मजदूरों की संख्या एवं उपस्थिति के आधार पर वार्डों में कराये गये नाला सफाई कार्य हेतु किया गया है। माह दिसम्बर-15 के अभिश्रव में वार्ड संख्या अंकित करना सफाई जमादार द्वारा भूलवश छोड़ दिया गया किन्तु उक्त वार्ड में वार्ड पार्षद एवं आम नागरिकों द्वारा सफाई के संबंध में सूचना दी गई है। वार्ड संख्या टिप्पणी पृष्ठ पर अंकित है। नालों से निकाले गये कचड़े का उठाव नगर परिषद के स्थायी सफाई कर्मियों द्वारा किया गया है। कचड़ा उठाव का कोई भुगतान नहीं किया गया है। उठाये गये कचड़े को डम्पिंग ग्राउंड पर फेंका गया है।
16	10	संवेदकों से विलम्ब दण्ड की वसूली नहीं मो० 4.62 लाख	संवेदकों से विलम्ब दण्ड की वसूली हेतु नोटिस निर्गत किया जाएगा। वसूली न होने की स्थिति में अगले विपत्र से कटौती कर ली जाएगी।
17	11	लघु खनिज सामग्रियों के ढुलाई पर अनियमित भुगतान राशि मो० 12.64 लाख रु०	इस संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
18	12	सामग्री का क्रय में अनियमित भुगतान राशि मो० 28.70 लाख रु०	नगर परिषद द्वारा जनरेटर, उपस्कर, बिजली सामग्री, हैण्ड ट्रॉली, ट्रैक्टर डाला सफाई सामग्री इत्यादि का क्रय दैनिक कार्यों के निष्पादन हेतु निविदा के माध्यम से किया गया है। आपूर्ति आदेश में गारंटी/वारंटी की अवधि निर्धारित की गई है। सुरक्षित जमा राशि के रूप में झ्रपट जमा कराया गया है। सामग्री की आपूर्ति का सत्यापन कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा किया गया है जो स्टॉक पंजी में अंकित है। (देखें Annexure-VI)
19	14	बकाया दुकान किराया की वसूली नहीं (राशि रु० 21.89 लाख)	बकाया दुकान किराया मो०- 21.89 लाख रु० में से मो०- 16.11 लाख की वसूली कर ली गई है। (Annexure - VII)


 कार्यपालक पदाधिकारी
 नगर परिषद, जमालपुर
 04.01.19

			कार्रवाई का ब्यौरा
20	15	सम्पत्ति कर (मकान कर) का वार्षिक किराया मूल्य का कर निर्धारण नहीं होने के कारण राजस्व की हानी (राशि रू0 26.54 लाख)	नगर परिषद, जमालपुर बोर्ड की बैठक दिनांक-18.03.2016 के पारित प्रस्ताव सं0-02 द्वारा पारित दर एवं दिनांक - 29.04.2016 के पारित प्रस्ताव संख्या - 09 के द्वारा पारित सड़को के वर्गीकरण के आलोक में विभागीय पत्रांक - 2140 दिनांक - 21.03.2017 के द्वारा सड़को का वर्गीकरण अनुमोदित किया जा चुका है। इसी प्रकार विभागीय पत्रांक - 6522 दिनांक - 06.10.2017 द्वारा दर का भी अनुमोदन किया गया है। जिसके आलोक में सम्पत्ति कर का पुनर्मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 2017-18 से कर लिया गया है। (Annexure - VIII)
21	16	कोषागार से रू0 500 की अधिक निकासी	चतुर्थ राज्य वित्त की योजना संख्या - 05/2015-16 प्याउ निर्माण हेतु विपत्र के भुगतान में अधिक राशि मो0 500.00 रू0 को संवेदक से जमा कर ली गई है। (Annexure - IX)
भाग - III नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी			
22	01	विभिन्न पंजियों का संधारण किया हुआ लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत	असंधारित/अप्रस्तुत पंजियों/अभिलेखों को अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
23	02	सरकारी भवनों से मकान कर की वसूली नहीं राशि मो0 0.51	सरकारी भवनों से मकान कर की वसूली की कार्रवाई की जा रही है।
24	03	गृह कर बकाया की वसूली नहीं (राशि रू0 185.85 लाख)	बकाया गृह कर में से 169.70 लाख की वसूली कर ली गई है। (Annexure - X)
25	04	आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन अप्रस्तुत	विभागीय पत्रांक-29 दिनांक-05.04.2016 द्वारा आंतरिक अंकेक्षण की व्यवस्था की गई है। M/s R.M. Associates द्वारा आंतरिक अंकेक्षण किया जा रहा है। जिनके द्वारा प्रतिवेदन जमा की गई है। (Annexure - XI)
26	05	भविष्य निधि अंशदान की राशि जमा नहीं रू0 18.31 लाख	भविष्य निधि अंशदान की राशि जमा करने की कार्रवाई की जा रही है।
27	06	पार्क निर्माण अनुदान से प्राप्त राशि की पड़ा रहना रू0 80.00 लाख	पार्क निर्माण अनुदान से प्राप्त राशि सरकार को वापस की दी गई है। (Annexure - XII)
28	07	अपूर्ण योजना पर निष्फल व्यय राशि रू0 3.81 लाख	अपूर्ण योजनाएँ पूर्ण कर ली गई है। (Annexure - XIII)
29	08	बजट प्राक्कलन में अत्यधिक विचलन	कर्मियों को बजट तैयार करने का प्रशिक्षण नहीं रहने तथा विभाग से मार्ग दर्शन प्राप्त नहीं रहने के कारण पूर्व में विहित प्रक्रिया के तहत बजट तैयार नहीं किया गया था। प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक -02/प्र0स0को0 दिनांक - 01/01/2016 द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 से लाभ का बजट तैयार कर विभाग को ससमय भेजा गया तथा विभाग द्वारा इसे जाँच कर अनुमोदित करते हुए बिना संसोधन के वापस किया गया है। इस प्रकार बजट विहित प्रक्रिया के तहत तैयार किया जा रहा है। (देखें Annexure - XIV)
30	09	अग्रिम की वसूली/समायोजन नहीं (राशि रू0 308.59 लाख)	अग्रिम का समायोजन कर लिया गया है। (Annexure - XV)

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद जमालपुर

2/11/17
09.01.19